प्रतिवेदन

एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 24.03.2021

Intellectual Property Rights

महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग एवं आंतरिक गुणवत्ता संवर्धन समिति के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 24 मार्च 2021 को **Intellectual Property Rights** यथा **बौद्धिक संपदा अधिकार** विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न किया गया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ महेश कुमार रचियता सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग थे। समस्त कार्यक्रम राजनीति विज्ञान की प्रभारी डॉ मंजू मीणा एवं डॉ नूरजहां तथा डॉ शशि वर्मा ने प्राचार्य डॉ शिशिर शर्मा के निर्देशन में तय किया।

उक्त कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री महेश शर्मा अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, बीकानेर एवं डॉ डॉ भगवाना राम विश्नोई प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर रहे अन्य विशेष वक्ता के रूप में बीकानेर शहर के जाने पहचाने विधिवेता श्री शंकर लाल हर्ष रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉ राकेश हर्ष, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ शिशिर शर्मा ने की तथा महाविद्यालय के अधिकांश लगभग 50 संकाय सदस्यों ने तथा 15 मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं लगभग 100 छात्राओं ने शुरू से अंत तक अपनी उपस्थिति बनायी रखी।

कार्यशाला के प्रथम वक्ता डॉ भगवाना राम विश्नोई ने **"बौद्धिक संपदा एक परिचय"** विषय पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, डॉ विश्नोई ने अपनी सरल भाषा में यह समझाने का प्रयास किया की भारत की प्राचीनतम् संपदा जैसे वेद, योगा आदि का दूसरे देशों के द्वारा अपने नाम से पेटेन्ट करवा लिया गया है और हल्दी, नीम जैसी परम्परागत भारतीय औषधियों के लिए पेटेन्ट करवाने हेतु भारत सरकार को डब्ल्यूटीओ या अन्य मंचों पर किस प्रकार संघर्ष करना पडा।

कार्यशाला में द्वितीय वक्ता श्री शंकर लाल हर्ष ने बौद्धिक संपदा कानून के Introduction Registration of Trade Mark Infringenment of trade mark Classification of trademark और Opposinu a trade marks Registration जैसे पहलुओं पर अपना सार गर्भित और उपयोगी व्याख्यान प्रस्तुत किया।

कार्यशाला के तृतीय वक्ता श्री महेश शर्मा एडीजी अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बीकानेर ने कार्यशाला की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतांक पर गहनता से प्रकाश डालते हुए यह भी समझाने का प्रयास किया की भारतीय बौधिक संपदा अधिकार कानून की क्या–क्या कमियां है और भारत सरकार के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के संरक्षण हेतु क्या–क्या प्रयास किये जा रहें है।

इस प्रकार यह एक दिवसीय कार्यशाला अपने उद्देश्यों में सफल रही एवं इसमें सहभागिता करने वाले संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों को आयोजन इकाई राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

समन्वयक
(डॉ महेश कुमार रचियता)
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय

प्राचार्य
(डॉ शिशिर शर्मा)
महारानी सुदर्शन कन्या महा.
बीकानेर